उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार

14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्याः 1452/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2023–3(3)/मा0सं0(04)/2023 दिनांकः 18.09.2023

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.08.2023 को सम्पन्न 217वीं बैठक के एजेण्डा आईटम संख्या–217.36 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में वित्त (सामान्य) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्याः 2/2023/जी–2–256(1)/दस–2023, दिनांक 21 मार्च 2023, जिसके द्वारा सामान्य भविष्य निधि में किसी भी अभिदाता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अवशेषों के जमा सहित अधिकतम रूपये 05 लाख का अभिदान किये जाने के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी प्राविधान/व्यवस्था निर्गत किये गये हैं, को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की सेवाओं में यथावत्/सम्पूर्णता में एतद्द्वारा अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः 1452/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2023/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/जवाहरपुर/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/मलावन (एटा)/पनकी (कानपुर)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II), मा0सं0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/ईंधन/जानपद–नव परियोजनायें/तापीय परिचालन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II), न्यू कोल ब्लाक/प्रगति/पी0पी0एम0एम0, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की सम्पन्न 217वीं बैठक के एजेण्डा आईटम संख्या–217.36 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/02/03/04/05/06)/(रिफार्म)/(टाण्डा वाइंडिग एवं संसदीय कार्य)/(प्रशिक्षण)/(तापीय परिचालन)/(जानपद)/(औ0सं0)/(लेखा प्रशासन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/जवाहरपुर/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/मलावन (एटा)/पनकी (कानपुर)।
11. सचिव (ट्रस्ट), उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. कट् फाइल।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर) 18/9/23

(तरूण कुमार जैन)

अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–04)

Scanned with CamScanner

संख्या-2/2023/जी-2-256(1)/दस-2023

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवदी,

अपर मुख्य सचिव,

उ0प्र0शासन।

सेवा में

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 21 मार्च, 2023

विषयः- सामान्य भविष्य निधि में किसी भी अभिदाता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अवशेषों के जमा सहित अधिकतम रू0 05 लाख का अभिदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उप महालेखाकार/फण्ड कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा अपने पत्र संख्या-फण्ड-1/टी0 एण्ड एन0टी0/79568, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के माध्यम से यह तथ्य संज्ञान में लाते हुए कि भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 9D(2)(c)(i) के प्राविधान को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में एक वित्तीय वर्ष में अवशेषों की जमा सहित वार्षिक अभिदान की सीमा अधिकतम रू0 05 लाख निर्धारित कर दी गयी है, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश की जानकारी चाही गयी है, क्योंकि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम कार्यालय द्वारा अपने जी0पी0एफ0 एप्लीकेशन/डेटाबेस में संशोधन किया जाना प्रक्रियाधीन है।

2- आयकर नियमावली, 1962 के उपर्युक्त प्राविधान को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गयी है कि सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के अभिदाताओं के लिए भी तात्कालिक प्रभाव से एक वित्तीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner

DGM (F)

वर्ष में अवशेषों की जमा सहित कुल अभिदान की सीमा अधिकतम रू0 05 लाख निर्धारित कर दी जाय।

3- सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के संगत नियमों में संशोधन किये जाने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

भवदीय,
प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-फण्ड-1/टी0 एण्ड एन0-टी0/79568, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के संदर्भ में।
(3) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner